अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 37 / 2013

कामेश्वर शर्मा

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 2410 दिनांक 12.07.13 के विरूद्ध दाखिल है। यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं0 16518 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 08.05.15 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमनौर के पत्रांक 188 दिनांक 05.12.12 के द्वारा कामेश्वर शर्मा ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0 67 / 07 पंचायत तरवार प्रखंड अमनौर की दूकान की जॉच ग्रामीण जनता ग्राम मकसूदपुर पंचायत तरवार के द्वारा दिये गए परिवाद पत्र के आलोक में की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः– 1. विकेता के द्वारा प्रत्येक माह 2.50 लीटर किरासन तेल 18 रू0 प्रति लीटर की दर से उपभोक्ताओं को दिया जाता है। 2. अन्त्योदय योजना अन्तर्गत लाभुको को 35 किलो खाद्यान्न के बदले 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है एवं अधिक राशि ली जाती है। 3. बी0पी0एल0 योजना अन्तर्गत 25 किलो के बदले 20 किलो खाद्यान्न दिया जाता है एवं अधिक राशि ली जाती है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के ज्ञापांक 4074 दिनांक 15.12.12 एवं ज्ञापांक 1195 दिनांक 12.04.13 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया कि उनके द्वारा प्रत्येक माह दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में उचित कीमत पर ससमय सामग्री का नियमित वितरण किया जाता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पानापुर के पत्रांक कैम्प–01 दिनांक 24.06.13 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 24.06.2013 को अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पानापुर के द्वारा	

संयुक्त रूप से कामेश्वर शर्मा ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0 67/07 पंचायत तरवार प्रखंड अमनौर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

1. विक्रेता अनुपस्थित।
2. सूचना पट्ट संधारित नहीं।
3. विक्रेता की दूकान के भण्डार में गेहूँ/चावल की मात्रा शून्य पाया गया तथा उनकी पत्नी द्वारा बताया गया कि गेहूँ/चावल का वितरण किया जा चुका है, लेकिन जॉच पदाधिकारी के मॉग किए जाने पर खाद्यान्न का कूपन दिखाया नही गया।
4. विक्रेता की दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि 2.50 लीटर किरासन तेल देकर 50 रू0 लिया जाता है।
5. विक्रेता की दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि बी0पी0एल0 योजना में 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल देकर 150 रू0 लिया जाता है।
6. विक्रेता की दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया है कि अन्त्योदय योजना में 15 किलों चावल एव 10 किलो गेहूँ देकर 90 रू0 लिया जाता है।

उक्त अनियमितताओ के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2287 दिनांक 25.06.13 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, लेकिन विक्रेता के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर या उसके बाद अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उसके विरूद्ध कारण पृच्छा में अंकित सभी आरोप सही है। विक्रेता के आचरण एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान के आधार पर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। जॉच की तिथि को अपनी बच्ची की तबीयत खराब होने की बजह से विक्रेता 12 बजे दिन में अपनी दूकान को बंद करके डा0 से दिखाने चले गए थे। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सूचना पटट का संधारण किया जाता है। हो सकता है कि उस दिन किसी शरारती तत्व के द्वारा उसे मिटा दिया गया हो। जॉच की तिथि के पूर्व खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया था, लेकिन विक्रेता के पास दूकान की चाबी रहने की वजह से परिवार वालो के लिए यह संभव नही हो सका कि प्राप्त कूपनो को जॉच पदाधिकारी को दिखाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी दुश्मनी की वजह से किसी विराधी के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत आरोप लगाए गए है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को

अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। साथ ही विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल विकेता के द्वारा आचरण किया जाता है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2410 दिनांक 12.07.13) में कई कमियॉ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति ही विकेता को उपलब्ध करायी गई है, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ इस अभिलेख को रिमांड किया जाता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति विकेता को उपलब्ध करावे, उनसे नए सिरे से कारण पृच्छा किया जाय, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाय, तत्पश्चात आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विधि सम्मत आदेश पारित किया जाय।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

23/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 498 /दिनांक 25/12/15/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
24/12/15